मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
प्रथम तल,विन्ध्याचल भवन,भोपाल–462004
//अधिसूचना //

भोपाल,दिनाक 05 /10/2019

फा0कमांक–1(सी)/5203,5167/एट्रोसिटीज/21–ब(दो), राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला शाजापुर के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अंतर्गत श्री अम्बर वारसी (नामांकन क्र. एम.पी./1172/2008) को विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है। श्री अम्बर वारसी की उक्त विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 12.07.1979 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमे से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री अम्बर वारसी, को ऐसे विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप मे कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश कमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21–ब(दो), दिनांक 26/09/2018 के अनुरूप देय होंगें एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29–मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातिया तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण (01) अनुसूचित जातियो का कल्याण (800)–अन्य व्यय–0703–केन्द प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)–विशेष न्यायालयों की स्थापना–31–व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद–003–अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा ।

श्री अम्बर वारसी, विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता, शाजापुर को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय मे केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु, कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आबंटित किया जायेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

पृ0कमांक 1(सी)/5203,5167/एट्रोसिटीज/21–ब(दो),19 भोपाल, दिनाक 05 /10/2019

प्रतिलिपिः–

(1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.)
(2) आयुक्त,उज्जैन संभाग उज्जैन, (म.प्र.)
(3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर (म.प्र.)
(4) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाजापुर (म.प्र.)
(5) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
(6) प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)
(7) संचालक, लोक अभियोजन, संचालनालय, भदभदा रोड़, भोपाल, (म.प्र.)
(8) निज सचिव,माननीय विधि मंत्री जी के, भोपाल,
(9) बजट शाखा, विधि विभाग, भोपाल, (म.प्र.)
(10) श्री अम्बर वारसी पिता श्री सैय्यद साजिद अली वारसी,निवासी–180ऊस मैदान (दायरा)मोरकलॉ बाजार शाजापुर (म.प्र.)
(11) उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
(12) आई0टी0 शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं विभागीय वेबसाईट पर दर्ज सूची मे अद्यतन करने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5.10.19

(संतोष प्रसाद शुक्ला)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
14 OCT 2019
Reg No. 2991
Receipt Clerk
High Court Jabalpur

Petition
14.10.19